

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.1(1)विस्था / ग्रुप-2 / 2020


जयपुर, दिनांक : 27.03.2020

आदेश

3.4.2020


विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27.03.2020 के द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने तथा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण से बचाव हेतु समस्त राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य एवं नियन्त्रक एवं उनसे संलग्न चिकित्सालय के अधीक्षक, समस्त जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी एवं समस्त जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया गया था कि वे चिकित्सक, नर्सिंगकर्मी, हैल्थ वर्कर (Health Worker) जो सीधे-सीधे कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमित/संदिग्ध रोगी के उपचार में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, को National Taskforce for COVID-19 की अनुसार औषधि HCQ (Hydroxy Chloroquine) की निर्धारित मात्रा (Dose) देवें।

राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य एवं नियन्त्रक एवं उनसे संलग्न चिकित्सालय के अधीक्षक, समस्त जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी उक्त औषधि आवश्यकतानुसार अपने क्षेत्र के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्राप्त कर चिकित्सक, नर्सिंगकर्मी, हैल्थ वर्कर (Health Worker) जो सीधे-सीधे कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमित/संदिग्ध रोगी के उपचार में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, को निर्धारित मात्रा (Dose) दिया जाना सुनिश्चित करावें।


(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय /
2. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
3. समस्त प्रिंसीपल मेडिकल कॉलेज, राजस्थान
4. समस्त अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज राजस्थान
5. समस्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
6. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन राज.
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज. को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त औषधि, ड्रग वेयर हाउस से प्राप्त कर आवश्यकतानुसार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य एवं नियन्त्रक एवं उनके संलग्न चिकित्सालय के अधीक्षक, समस्त जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को उनकी मांग के अनुसार मांग पत्र प्राप्त कर उपलब्ध करावें।
8. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज.
9. समस्त सहायक औषधि नियन्त्रक/औषधि नियन्त्रण अधिकारी
10. निजी / रक्षित पत्रावली


शासन उप सचिव 3.4.2020